



सार्क के माध्यम से भारत का पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध: चुनौतियाँ एवं समाधान

डॉ सोनी यादव

सहायक प्रोफेसर

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर

दक्षिण विश्व के अन्य क्षेत्रीय संगठन की तरह दक्षिण एशियाई देशों के आर्थिक सामाजिक संरचना को विकसित करने के उद्देश्य से दक्षिण नामक संगठन की परिकल्पना बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिआउल-रहमान ने 1978 में किया था। 1978 में दक्षिण एशियाई देशों के विदेश मंत्री स्तर का सम्मेलन ढाका में हुआ जहाँ पर दक्षिण नामक संगठन की स्थापना का निर्णय लिया गया। जनसंख्या की दृष्टि से सार्क विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रीय संस्था है जो 147 करोड़ लोगों को प्रभावित करती है। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों की आर्थिक एवं राजनीतिक संस्था है। इस संस्था का निर्माण 8 दिसम्बर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, तथा भूटान ने मिलकर किया। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान के इसका सदस्य बन जाने से इसकी कुल सदस्य संख्या 8 हो गयी है।

इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त कुछ देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है ये देश इस प्रकार हैं—चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, मॉरीशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका, वैश्विक स्तर पर 2015 में सार्क सदस्यों के पास विश्व की 3% भूमि, 21 प्रतिशत विश्व की जनसंख्या तथा 9.12% विश्व अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी थी।¹

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश के इस प्रस्ताव को 1981 में कोलंबो में हुई एक मीटिंग में भारत, पाकिस्तान तथा श्रीलंका ने मंजूर कर लिया। 1985 में इस देश के नेताओं ने नई दिल्ली में हुए एक शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर एक घोषणा-पत्र का अपनाया।

सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) एक क्रियाशील संस्था है, इसका निर्माण एक आर्थिक समूह के रूप में किया गया था ताकि इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास की गति को तेज किया जा सके। सार्क के चार्टर के लिखे गये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा मजबूती, प्रदान करना।
2. आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग तथा परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित करना।
3. एक दूसरे की समस्याओं के प्रति परस्पर विश्वास, समझ तथा आदर में योगदान देना।
4. अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग सशक्त करना।
5. अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर परस्पर साझे हितों पर आपसी सहयोग को सशक्त करना, तथा समान उद्देश्यों वाले अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

सार्क देशों में परस्पर सहयोग के मूल आधार है—

प्रत्येक देश की सार्वभौमिक समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप एवं परस्पर लाभ जैसे सिद्धान्तों का आदर करना। सार्क आधारित क्षेत्रीय सहयोग को इन देशों में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्धों के साथ-साथ एक और नया सम्बन्ध माना गया है। सार्क में सभी निर्णय सभी की सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। द्विपक्षीय अथवा विवादस्पद मुद्दों की सार्क में चर्चा नहीं की जाती।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीन साल पहले अपने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने के लिए सार्क देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया था। तभी यह संकेत मिल गया था कि वह पड़ोसियों को प्रमुखता देना चाहते हैं। पड़ोसी देशों से घनिष्ठ गठजोड़ के लिए नेपाल बांग्लादेश, भूटान के उच्चस्तरीय दौरे भी किए गए। हालांकि पी0एम0 मोदी की सार्क को लेकर महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में कई चुनौतियाँ भी हैं। जिनमें पाकिस्तान के साथ तनाव मुख्य कारण है। इसी प्रकार अफगानिस्तान को लेकर अनिश्चितताएँ हैं तो चीन जैसी बाहरी शक्तियों की भूमिका से सार्क को पुनः मजबूत बनाने के रास्ते में कठिनाइयाँ भी हैं।

दक्षिण एशिया की जबर्दस्त आर्थिक क्षमता है। इस संगठन में विश्व की 23% आबादी निवास करती है किन्तु जी0डी0पी0 उत्पादन में इसकी क्रय क्षमता मात्र 6 फीसदी है इसी प्रकार वस्तु व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 2 प्रतिशत है तो वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में केवल तीन फीसदी हिस्सा है। दुर्भाग्य यह है कि इसका पूरे सार्क देशों के साथ व्यापार देखा जाय तो वह इसके चीन के साथ व्यापार का एक तिहाई है।²

प्रधानमंत्री मोदी को इस विसंगति की जानकारी है। वह यह भी जानते हैं। कि एक सार्थक सहयोग तभी संभव है जब सार्क देशों के बीच परस्पर विश्वास और इच्छा हो। वे अपने द्विपक्षीय मतभेदों को समाप्त कर जब तक विस्तृत सहयोग नहीं बढ़ाएंगे उनमें व्यापार की संभावनाएँ भी सीमित रहेंगी।

सार्क का सचिवालय काठमाण्डू (नेपाल) में है। सचिवालय का कार्य सार्क की गतिविधियों में समन्वय करना, उनका कार्यान्वयन करना तथा शिखर सम्मेलनों एवं अन्य मितियों का आयोजन गठित करना है। सार्क के महासचिव की नियुक्ति विभिन्न देशों के सदस्यों द्वारा गठित मन्त्रिमण्डल द्वारा सदस्य देशों के नाम के क्रमानुसार तीन वर्ष के लिए की जाती है। मुख्य सचिव की सहायता के लिए अन्य देशों के सात निदेशक भी चुने जाते हैं। सचिवालय तथा सदस्य देश प्रत्येक वर्ष 8 सितम्बर के दिन को सार्क दिवस के रूप में मनाते हैं।

सार्क के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न विषयों के अध्ययन तथा कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सदस्य देशों में क्षेत्रीय केन्द्र बनाए गए हैं—जैसे—कृषि, तपेदिक, मौसम विज्ञान, मानव संसाधन आदि।

इनमें कुछ महत्वपूर्ण केन्द्र हैं—

SAIC (Dacca, 1998), STC (Katmandu, 1992) SDC (New Delhi, 1994), SMRC, (Dacca, 1995) SHRDC (Islamabad, 1990), SCC (Kandy, 2004) SCZMC (Mala, 2017) SIC (Katmandu, 2004)³

इसके अलावा जो तीन अन्य क्षेत्रीय संगठन बनाये जा रहे हैं वे हैं: संस्कृति, तटीय क्षेत्रों का प्रबन्धन तथा सूचना। अपनी गतिविधियों को तीव्र करने के लिए सार्क ने कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ Memorandum of Understanding पर हस्ताक्षर किए हैं, ये संस्थाएँ हैं—UNCTAD, UNICEF, UNDP, UNESCAP, UNDCP, ITU, APT, WHO, UNIFEM, CIDA, EC, WB, ADB, UNAIDS, SACEP.

सार्क की उच्चतम संस्था शिखर सम्मेलन है जो चार्टर के अनुसार प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। अब तक सार्क के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं जिनमें भारत, बांग्लादेश श्रीलंका, मालदीव, तथा नेपाल में तीन-तीन, भूटान में एक तथा पाकिस्तान में 2 सम्मेलन हुए हैं। उन्नीसवां सम्मेलन नवम्बर 2016 में इस्लामाबाद में होना था, इसे आगे टाल दिया गया है।

सार्क और भारत सम्बन्ध

सार्क के साथ भारत के सम्बन्ध पिछले कुछ वर्षों में बेहतर तरीके से विकसित हुआ है। भारत ने प्रारम्भ से ही गठजोड़ में सीमित भूमिका ही निभाई थी। उसने पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय आदान-प्रदान पर ज्यादा जोर दिया था। हालांकि 1990 के दशक के मध्य में इसकी आर्थिक ताकत बढ़ने के साथ ही भारत ने क्षेत्रीय नेता के रूप में बड़ी भूमिका निभाने पर जोर देना शुरू किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री आई के—गुजराल ने अपने निकट के पड़ोसियों से सम्बन्ध मजबूत

करने के लिए पाँच सिद्धान्त अपनाए। यह सिद्धान्त उस मान्यता से उपजा है कि दुनिया के मंच पर भारत का कद इसके अपने पड़ोसियों से सम्बन्ध पर निर्भर करते हैं।⁴

भारत की उल्लेखनीय वृद्धि पूरे क्षेत्र पर प्रभाव डालेगी और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। इसकी बहुत आवश्यकता भी है। क्योंकि भले ही भारत आशातीत सफलता प्राप्त कर रहा हो, पर पूरा दक्षिण एशिया घोर गरीबी, वृहद शहरीकरण के दलदल, अमीर गरीब के बीच खाई और आधारभूत ढाँचे, ऊर्जा, पर्यावरण के बुनियादी समस्याओं में फंसा हुआ है। 2008 में मुम्बई हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों की मुलाकात पहली बार कोलम्बो में 2009 में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।⁵ सार्क शिखर सम्मेलन हमेशा पूरे क्षेत्र के लिए महत्व रखने वाले विवादस्पद मुद्दों पर चर्चा और उसे सुलझाने का फ्रेमवर्क मुहैया कराता है, सार्क के कुछ छोटे देश चीन की सदस्यता को सार्क के भीतर भारत की शक्ति को सन्तुलित रखने के लिए आवश्यक मानते हैं। नेपाल ने 2010 के प्रारम्भ में ही चीन को पूर्ण सदस्यता देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस पर भारत ने वीटो पावर का प्रयोग करते हुए विरोध किया।

भारत का मानना है कि अन्य देशों और दक्षिण एशिया के अन्य कमजोर देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सार्क अवसर उपलब्ध कराता है। सार्क की कई सकारात्मक उपलब्धियाँ रही हैं, मसलन, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद को रोकने के लिए सोशल चार्टर और समझौते, किन्तु इन्हें सही ढंग से लागू करने की जरूरत है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए खाद्य और विकास बैंक की भी अति आवश्यकता है।

सार्क चार्टर में सार्क के बुनियादी उद्देश्यों का जिक्र है। मसलन दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण और उनके जीवन स्तर को सुधारना। बाद में सार्क के तहत तमाम नए क्षेत्रीय स्थापनाएं हुई हैं, मसलन थिम्पू में सार्क डेप्लेपमेन्ट फण्ड, नयी दिल्ली में साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद में सार्क मध्यस्थता और ढाका में सार्क स्टैंडर्ड्स, आर्गनाइजेशन। 2004 में साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया (साफ्टा) समझौते पर हस्ताक्षर हुए। चरणबद्ध रूप से वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कई पर सहमति बनी। पहले चरण में सदस्य देशों में संवेदनशील सूची पर 20 फीसद की कटौती अनिवार्य की गयी। इसके कारण 2015-14 में सार्क के भीतर व्यापार की मात्रा बढ़कर 2.9 बिलियन डालर हो गयी। हालांकि वर्तमान में साफ्टा के भीतर 10% ही व्यापार होता है। इसमें भी भारत की हिस्सेदारी वैश्विक बाजार की मात्र 5 फीसदी है। क्षेत्र के कम विकसित देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल को विशेष और अलग सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।⁶

सार्क डेवलपमेन्ट फण्ड के लिए भारत ने अपने वार्षिक योगदान के अलावा स्वैच्छिक रूप से 100 मिलियन डॉलर कर योगदान दिया है। ये योगदान सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए दिया गया है। सार्क मोटर व्हीकल समझौते और सार्क रेलवे समझौते को परिवहन पर अन्तर सरकारी समूह द्वारा नई दिल्ली में 30 सितम्बर 2014 को हुई बैठक में मंजूरी दी गयी। भूटान के साथ पनविसली परियोजनाओं में सहयोग भी बढ़ रहा है। श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता पहले से ही लागू है।⁷

सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन शान्ति और समृद्धि के लिए बेहतर क्षेत्रीय एकता पर आधारित था जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्षेत्र के प्रति हमारा, नजरिया पांच स्तम्भों पर टिका हुआ है, जो व्यापार, निवेश, सहायता, हर क्षेत्र में सहयोग और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सम्बन्ध हैं यह सब कुछ सहज कनेक्टिविटी के माध्यम से ही संभव होगा। यह हमारे समय की मांग है। उन्होंने क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए भारत में विशिष्ट प्रयोजन सुविधा स्थापित करने की बात कही। जिससे व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सार्क देशों के नागरिकों को भारत 3-5 वर्ष के लिए व्यापार बीजा देगा। उन्होंने व्यापार संचालन की सुविधा के लिए सार्क विजनेस ट्रेवलर कार्ड प्रदान किये जाने का प्रस्ताव भी रखा। जो लोग भारत में उपचार के लिए आना चाहते हैं उन्हें और एक सहायक को तत्काल मेडिकल बीजा देने की बात उन्होंने की।⁸

ISRO में लंच के दौरान भारतीय P.M. ने भारतीय वैज्ञानिकों की सार्क सैटेलाइट विकसित करने के लिए कहा। ताकि इसका लाभ मेडिसिन, ई-लर्निंग के रूप में पूरे दक्षिण एशिया के लोगों को मिल सकें। यह सार्क को भारत की ओर से एक उपहार होगा। भारत इस सैटेलाइट पर 235 करोड़ रुपया खर्च करेगा। जिसमें 12 ट्रान्सपॉन्डर होंगे। इसी तरह मोटर व्हीकल समझौता क्षेत्र में कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। पाकिस्तान ने आपत्ति जताते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके माध्यम से सार्क के चार देशों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों की आवाजाही में आसानी होगी।

चुनौतियाः-

सार्क की स्थापना इस क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं की प्रखर सोच का परिणाम थी तथा अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य शिखर सम्मेलन कूटनीति के माध्यम से इस क्षेत्र में एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना था जिससे सभी देश शान्तिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ सम्पर्क में आ सकें, संपोषित शान्ति की धारणा का विकास कर सकें, इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके परस्पर आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित

कर सके एवं आर्थिक संघटन स्थापित कर सकें। तथापि अपने 31 वर्षों की स्थापना के पश्चात् भी सार्क के ये देश न तो आर्थिक संगठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाये हैं और न, ही यह संस्था शान्ति एवं सामान्यस्थ स्थापित करने में सफल हो सकी है और न ही यह इस क्षेत्र में द्विपक्षीय झगड़ों को सुलझाने में सफल हो पायी है।

सार्क के सदस्य देशों में निरन्तर राजनीतिक तनाव तथा झगड़े इसे यूरोपियन यूनियन अथवा अन्य क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों के बराबर खड़ा होने में कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपियन यूनियन के देश अपने सदस्य देशों के लोगों के आवागमन पर किसी तरह की रोक नहीं लगाते। उनकी अपनी सांझा मुद्रा है तथा साझी आर्थिक एवं विदेश नीति है। केवल इस प्रकार के कदम ही किसी क्षेत्र में स्थायी शान्ति के लिए आधार बन सकते हैं। दूसरी ओर सार्क क्षेत्र में ऐसे कई प्रकार के क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय कारण हैं जो इन देशों में परस्पर विश्वास तथा सहयोग में बाधा डालते रहे हैं जिनके परिणामस्वरूप यह संस्था आरम्भ से ही प्रभावहीन रही है। वास्तव में इन राज्यों के आपस में तथा इनके राज्यों के अन्दर कई प्रकार के गंभीर विवाद रहे हैं। सहयोग तथा आयात-निर्यात के किसी भी प्रयत्न को अन्य सदस्यों द्वारा शंका की दृष्टि से देखा जाता है। इन विवादों में प्रमुख विवाद भारत तथा पाकिस्तान में कश्मीर तथा आतंकवाद जैसे विषयों पर अत्यधिक मतभेद है। दक्षिण एशियों में शान्ति तथा संगठन स्थापित करने में सार्क द्वारा कोई महत्वपूर्ण भूमिका न निभा पाने का सारा दोष भारत तथा पाकिस्तान की राजनीतिक तथा सैनिक प्रतिस्पर्धा एवं कटुता पर थोपा जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर आज तक कश्मीर का मुद्दा भारत पाक सम्बन्धों में सबसे कटुतापूर्ण रहा है। तीनों युद्धों तथा वार्ता के कई दौर के बाद भी यह मुद्दा वहीं का वहीं है। भारत पिछले दो दशकों से पाकिस्तान की तरफ से सीमापार आतंकवाद का शिकार रहा है, जिसमें हाल ही के वर्षों में काफी तीव्रता आ गयी है हालांकि भारत तथा पाकिस्तान में द्विपक्षीय मुद्दों पर कई बार वार्ता हो चुकी है परन्तु इनके कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। जो इन दोनों देशों को नजदीक ला सके अथवा इनमें परस्पर विश्वास पैदा कर सके। इसी तरह भारत एवं बांग्लादेश के बीच **Treaty of Friendship, Peace and Cooperation with India, 1972** के बावजूद इन दोनों देशों में फरक्का बैराज के सन्दर्भ में पानी क बंटवारा, बांग्लादेश से गैर कानूनी प्रवासियों का भारत में प्रवेश अथवा भारत बांग्लादेश सीमा जैसे विषयों पर कई विवाद रहे, हालांकि हाल ही के वर्षों में कुछ समस्याओं को सुलझाने की दिशा में प्रगति हुई है।⁹

इसी प्रकार श्रीलंका भारत पर लिट्टे की समस्या के विषय में तमिलों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में भी डूरण्ड लाइन मुजाहिद्दीन, तालिबान तथा अफगान शरणार्थियों जैसे मुद्दों पर गंभीर मतभेद है। इन सबके अतिरिक्त दक्षिण एशिया का यह क्षेत्र अत्यधिक सांस्कृतिक विभिन्नता का क्षेत्र है जहाँ 100 से अधिक भाषाएं तथा अनगिनत सांस्कृतिक समुदाय हैं। ऐसे क्षेत्र में जहां राष्ट्र-राज्य के निर्माण की प्रक्रिया ही अभी पूरी नहीं हुई है, वहाँ सार्क क्षेत्रीय संगठन की प्रक्रिया किस प्रकार आरम्भ कर सकता है।

इसके अतिरिक्त कश्मीर में उरी सैनिक कैम्प पर पाकिस्तानी आतंकवादी हमला, जिसमें भारत के 18 जवान शहीद हो गये, के पश्चात भारत एवं पाकिस्तान के बीच कटुता में इतनी अधिक वृद्धि हो गयी कि भारत ने नवम्बर 2016 में पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया। सम्मेलन को आगे के लिए टालना पड़ा।

हिमालय की श्रृंखला भारत को शेष विश्व से अलग करती है। इस उपमहाद्वीप में भारत की स्थिति विशाल हाथी की तरह है। पाकिस्तान के साथ लम्बे समय से शत्रुता का भाव भूलकर भारत ने छोटे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने की कोशिश की। लेकिन इन पड़ोसियों ने भारत की विशालता का कभी-कभी गलत मतलब भी निकाला। चीन इस स्थिति का फायदा उठा रहा है। उसने भारत के प्रभाव वाले क्षेत्रों में आर्थिक मदद के रूप में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। श्रीलंका ने 9 दिसम्बर को अपना महत्वपूर्ण बन्दरगाह 99 वर्ष की लीज पर उस कम्पनी को सौंप दिया, जिसका मालिक चीन सरकार है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के गठबन्धन ने संसदीय चुनाव जीता और फिर उसने चीन से करीबी और भारत से दूरी बढ़ाने का निर्णय किया। मालदीव की संसद ने नवम्बर में आपात सत्र बुलाया गया। बिना विपक्ष वाले इस सत्र में चीन के साथ मुक्त व्यापार के समझौते की घोषणा कर दी गयी। दक्षिण में ऐसा करने वाला वह पाकिस्तान के बाद दूसरा देश बन गया।

बूकलीन इन्स्टीट्यूट की तन्वी मदान कहती हैं—भारत ने इससे पहले भी अपने परम्परागत क्षेत्र में चुनौतियों का सामना किया है। यही यह बात चीन के बढ़ते प्रभाव के 'पैमाने और गति' की है। वह तेजी से पैर पसार रहा है। भारतीय विदेश मन्त्रालय का कहना है कि मालदीव हमारी चिन्ताओं पर संवेदनशीलता दिखायेगा और 'इण्डिया फ्रस्ट' नीति का पालन करेगा' यही स्थिति नेपाल भूटान, की भी है। यदि संक्षेप में देखा जाय तो दक्षिण की चुनौतियाँ निम्न हैं—

1. दक्षिण के देशों में भारत और पाकिस्तान दो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं और इन राष्ट्रों के बीच गंभीर राजनैतिक मतभेद, सीमा विवाद के कारण इन राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग का अभाव है जो दक्षिण के देशों में प्रमुख बाधा के रूप में है।
2. वर्तमान में दक्षिण के अधिकांश देश बड़े राष्ट्रों के प्रभाव में आकर आपसी सहयोग को कमजोर कर रहे हैं जो इनकी शान्ति एवं सुरक्षा में खतरा पैदा कर रहे हैं।

3. नदी जल विवाद, सीमा विवाद, आन्तरिक विवादों जैसे मुद्दों पर दक्षिण देशों में गंभीर मतभेद है।

समाधान :-

दक्षिण, दक्षिण एशिया की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक संरचना को विकसित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में है किन्तु यह संगठन अपनी स्थापना से लेकर विभिन्न कारणों के चलते अपने मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सका है। जबकि दक्षिण में आर्थिक विकास को बढ़ावा, शान्ति, सुरक्षा एवं स्थिरता का सुनिश्चित करने हेतु, तथा विश्व में प्रभावकारी संगठन की स्थापना हेतु दक्षिण में व्यापक संभावनाएँ हैं। यदि दक्षिण के राष्ट्र एक साथ मिलकर कार्य करें तो दक्षिण में होने वाली संभावनाओं को व्यापारिक रूप दिया जा सकता है। जैसे-दक्षिण के देशों में विश्व की 22% जनसंख्या निवास करती है। यदि इस जनसंख्या को संसाधन के रूप में विकसित किया जाय तो बड़े राष्ट्रों के आकर्षण का केन्द्र हो सकते हैं। दक्षिण के देशों में 20 प्रतिशत प्राकृतिक सम्पदा विद्यमान है यदि इन संपदाओं का संसाधन के रूप में विकसित किया जाय तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा जैसे-विश्व की 16 कृषि भूमिका उपयोग करके खाद्यान्न संकट से निपटा जा सकता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के पास ऊर्जा का भण्डार है तो वही भारत ऊर्जा का बहुत बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र है। इसलिए आपसी सहयोग से ऊर्जा व्यापार को बढ़ाया जा सकता है।

नेपाल और भूटान में जलविद्युत विकास की असीम संभावनाएँ हैं तो वहीं भारत के पास पूंजी, तकनीक है। भारत इन देशों में जल विद्युत का विकास करके ऊर्जा संकट को कम कर सकता है। दक्षिण देशों में धार्मिक ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन देशों में पर्यटन को बढ़ावा देकर जहाँ एक ओर **People to People contact** से सम्बन्धों को बढ़ाया जा सकता है वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी को भी कम लिया जा सकता है। दक्षिण के देशों में एक समान समस्याओं हैं- धार्मिक कट्टरता, मादक पदार्थों का व्यापार मानव व्यापार, आतंकवाद सीमा विवाद आदि जैसी समस्याएँ हैं, यदि दक्षिण के राष्ट्र अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के भुलाकर एक साथ कार्य करें तो दक्षिण एशिया में शान्ति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष:-निष्कर्षत यह कहा जा सकता है कि अब सार्क को क्षमता से आगे बढ़कर परफार्मर के रूप में आगे आना चाहिए। सार्क की स्थापना के तीन दशक बाद भी इसके सदस्य आपस में पूरी तरह सहयोग करने और क्षेत्रीय अवसरों का लाभ उठाने में विफल रहे हैं। परिवहन के क्षेत्र में विकास जैसी बेहतर आधारभूत ढांचे की सुविधाएँ निश्चित रूप से सार्क देशों को आगे बढ़ने में मदद करेगी। दक्षिण एशियाई देशों को नान टैरिफ वैरियर को समाप्त करना चाहिए। जिससे मुफ्त व्यापार को बढ़ावा मिल सके हम यह नहीं कह सकते कि सार्क अभी जिस रूप में हमारे समाने है उसका कोई उपयोग ही नहीं है। सार्क ने एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में अपनी उपयोगिता साबित की है।

इसमें विभिन्न दृष्टिकोण वाले देशों को एक साथ खड़ा किया है। सार्क को केवल विवाद निपटारे के तन्त्र के रूप में ही विकसित नहीं किया गया था, बल्कि चार्टर के रूप में हमारे द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों की चर्चा के लिए इसका उपयोग होना था। अब जबकि भारत को सार्क को पुनः सक्रिय करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसी तरह की प्रतिबद्धता और गंभीरता सार्क के अन्य देशों को भी दिखानी होगी। प्रधानमंत्री के रूप पी0एम मोदी ने काठमाण्डू में सार्क के 18वें शिखर सम्मेलन में नेताओं से कहा भी था कि सम्बन्ध तो विकसित होगा। चाहे वे सार्क के भीतर हो या बाहर या फिर सार्क के सारे देश में अथवा इसके कुछ सदस्य। अतः चुनौतियों के बावजूद सार्क के सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार, बुनियादी ढांचा, उर्जा, शिक्षा, हेल्थकेयर और आतंकवाद भारत की दो मुख्य उद्देश्यों विकास और पड़ोस में स्थिरता के केन्द्र बिन्दु है।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यवस्था पूर्ण विकसित नहीं होगी। यदि इस क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग और पारस्परिक निर्भरता की स्थिति लानी है तो इसके लिए एक वातावरण बनाना आवश्यक है। इसके माध्यम से इस क्षेत्र के राष्ट्रों के मध्य परस्पर विश्वास का वातावरण निर्मित करने में मदद मिली है। दक्षिण सम्पूर्ण दक्षिण राष्ट्रों की आकांक्षाओं एवं इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। परस्पर सहयोग से गंभीर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दक्षिण सम्मेलन इस प्रगति के लिए प्रेरणादायी संजीवनी है। इसका भविष्य सुधर है।

सन्दर्भ

1. Pakistan opts out of Saarc Satellite Project : Indian Express, 22nd March, 2017
2. प्रगति मंजूषा "शान्ति प्रयासों में सार्क की भूमिका" फरवरी मार्च, 1987 पृ0 95
3. मिश्रा, राकेश : "भूमण्डलीकरण के दौर में भारतीय विदेश नीति सरस्वती IAS पृ0 संख्या 245-250
4. वर्ल्ड फोकस : "भारत की विदेश नीति" भाग-2 फरवरी 2017 पृ0 संख्या 67-70

5. वरमानी, आर०सी० : "समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, गीतांजली पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 2017 पृ० 211-215
6. वही
7. वही
8. दृष्टिकोण मन्थन: "भारत के पड़ोसियों का आर्थिक मदद देता है चीन" 01-15 फरवरी 2018, पृ०-22
9. गुप्ता, भवानी सेन : "साउथ एशिया, द किंग ब्रदर सैन्ड्रोम", इण्डिया टूडे, खण्ड-9, अंक 8, अप्रैल 16-30, 1984 पृ० 122-27
10. अप्पादोराया ए० एम०एस० राजन, "फारेन पॉलिसी एण्ड रिलेशन्स" दिल्ली आर्यावर्त (पटना) 5 मार्च 1978

